उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा की कार्यसूची

बुधवार, 15 भाद्रपद, शक संवत्, 1945

(दिनांक : 06 सितम्बर, 2023)

समय : 11 : 00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्पसूचित प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)
2. अन्य प्रश्न (देखिए नत्थी **"ख "**)
3. निधन के निदेश।
4. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड विधान सभा के वर्ष, 2023 के प्रथम सत्र में उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य-संचालन नियमावली, 2005 के नियम-300 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण, अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया संबंधी निदेश संख्या-14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखेंगे।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम 152(2) के अन्तर्गत माननीय राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाये गये आम्रपाली विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को सदन के पटल पर रखेंगे।
6. संसदीय कार्य मंत्री, 'वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 से वर्ष 2021-22 (स्थानीय लेखा परीक्षा एवं आन्तरिक लेखा परीक्षा)' को सदन के पटल पर रखेंगे।
7. संसदीय कार्य मंत्री, 'उत्तराखण्ड भू-सम्पदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष, 2019-20 एवं वर्ष, 2020-21' को सदन के पटल पर रखेंगे।
8. मुख्यमंत्री, 'उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम की वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 (02 वर्षों) के वार्षिक लेखे/प्रतिवेदन (बैलेंस शीट)' को सदन के पटल पर रखेंगे।
9. मुख्यमंत्री, 'उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वित्तीय वर्ष 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखेंगे।
10. मुख्यमंत्री, 'उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग की वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखा विवरण को सदन के पटल पर रखेंगे।
11. मुख्यमंत्री, 'उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के नियमों और विनियमों को अधिनियम की धारा-182 के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखेंगे।

12. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-151(2) के अधीन 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुये वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (प्रतिवेदन संख्या-01 वर्ष 2023), को सदन के पटल पर रखेंगे।

13. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन 2021-22 (ATR सहित) को सदन के पटल पर रखेंगे।

14. मुख्यमंत्री, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 के वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 का वार्षिक लेखा विवरण को सदन के पटल पर रखेंगे।

(मुद्रित प्रतियां बाद में वितरित की जायेंगी।)

15. सभापति, सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति, उत्तराखण्ड की पंचम विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति, का पैतीसवॉ, छत्तीसवॉ एवं सैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

16. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्तीय रक्षक दल अधिनियम, 1948) (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को सदन के पटल पर रखेंगे।

17. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और विनियमन) अध्यादेश, 2023 को सदन के पटल पर रखेंगे।

18. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को सदन के पटल पर रखेंगे।

19. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड माल एवं सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2023 को सदन के पटल पर रखेंगे।

20. सचिव, विधान सभा घोषित करेंगे कि :-

(1) उत्तराखण्ड विनियोग विधेयक, 2023 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 16 मार्च, 2023 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 मार्च 2023 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2023 का तृतीय अधिनियम बन गया।

(2) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2022 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2023 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 अप्रैल, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2023 का चतुर्थ अधिनियम बन गया।

(3) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901) (संशोधन) विधेयक, 2022 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2023 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 अप्रैल, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2023 का पंचम अधिनियम बन गया।

(4) उत्तराखण्ड मत्स्य अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2022 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2023 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 अप्रैल, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2023 का छठ्वां अधिनियम बन गया।

(5) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) (संशोधन) विधेयक, 2022 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2023 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 03 अप्रैल, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2023 का सातवां अधिनियम बन गया।

(6) उत्तराखण्ड सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2022 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2023 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 20 अप्रैल, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2023 का आठ्वां अधिनियम बन गया।

(7) उत्तराखण्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2023 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2023 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 20 अप्रैल, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2023 का नौवां अधिनियम बन गया।

(8) उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2023 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2023 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 20 अप्रैल, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2023 का दसवां अधिनियम बन गया।

(9) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2023 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2023 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 20 अप्रैल, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2023 का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

(10) सरकारी अनुदान अधिनियम, 1895 (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2023 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2023 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 20 अप्रैल, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2023 का बारहवां अधिनियम बन गया।

(11) उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) विधेयक, 2023 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2023 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 26 अप्रैल, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2023 का तेरहवां अधिनियम बन गया।

(12) यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी रुड़की (संशोधन) विधेयक, 2023 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2023 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 28 अप्रैल, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2023 का चौदहवां अधिनियम बन गया।

(11) उत्तराखण्ड पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण विधेयक, 2022 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 15 मार्च, 2023 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 8 मई, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2023 का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।

(12) हरिद्वार विश्वविद्यालय विधेयक, 2022 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 30 नवम्बर, 2022 को पारित किया गया था, पर माननीय राज्यपाल की अनुमति दिनांक 16 मई, 2023 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तराखण्ड का वर्ष 2023 का सौलहवां अधिनियम बन गया।

21. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

22. श्री बृजभूषण गैरोला, सदस्य, विधान सभा "विधान सभा क्षेत्र डोईवाला, जनपद देहरादून के अन्तर्गत 26 बीघा क्षेत्र मारखम ग्रांट के बुल्लावाला/झबरावाला में जंगली जानवरों से फसलों की रक्षा करने हेतु सोलर-फेंसिंग लगाये जाने के सम्बन्ध में" श्री आनन्द सिंह पुत्र श्री सूरत सिंह नेगी, 26वीघा कुतलावाला देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

23. श्री बृजभूषण गैरोला, सदस्य, विधान सभा "विधान सभा क्षेत्र डोईवाला, जनपद देहरादून के अन्तर्गत वार्ड संख्या-100 नथुवावाला देहरादून में उपकेन्द्र एवं हैल्थ एण्ड वैलनेस सेंटर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में" श्री अनूप डोभाल पुत्र श्री सुरेन्द्र डोभाल, गुलरघाटी रोड नथुवावाला देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

24. श्री सुरेश सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा "जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र गंगोत्री के अन्तर्गत विकास खण्ड भटवाड़ी के ग्राम पंचायत साल्ड में जगन्नाथ मन्दिर से ठणोगी तथा ठणोगी से पन्वारा तोक तक कृषि सुरक्षा घेरबाड़ कार्य करवाने के सम्बन्ध में" श्रीमती विजय देवी महर पत्नी श्री गुलाब सिंह, ग्राम व पो0 साल्ड, जनपद उत्तरकाशी एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

25. श्री शहजाद, सदस्य, विधान सभा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अन्तर्गत ग्राम लादपुरकलां जैनपुर मखियाली के मध्य राजकीय इंटर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में" श्री मुजफ्फर हुसैन, निवासी ग्राम लादपुरकलां, पो0 मोहम्मदपुर बुजर्ग, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

26. श्री शहजाद, सदस्य, विधान सभा "जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र लक्सर के अन्तर्गत ग्राम नेहंदपुर सुठारी में राजकीय इंटर कालेज के सम्बन्ध में" डा0 ताहिर हुसैन, निवासी नेहंदपुर पो0 सुलतानपुर, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

27. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

28. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

29. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

30. मुख्यमंत्री द्वारा निम्न प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण :-

मैं प्रस्ताव करता हूं कि कारखाना (उत्तराखण्ड संशोधन) विधेयक, 2020 जो कि दिनांक 23 सितम्बर, 2020 को पुरःस्थापित हुआ तथा उसी तिथि को उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा बिना किसी संशोधन के पारित किया गया, को वापस लिये जाने की अनुमति प्रदान कर दी जाय।

31. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेंगे।

32. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड विनियोग अधिनियम (निरसन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करेंगे।

33. लोक निर्माण मंत्री, उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेंगे।

34. लोक निर्माण मंत्री, उत्तराखण्ड सड़क संरचना सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करेंगे।

35. तकनीकी शिक्षा मंत्री, वीर माधो सिंह भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेंगे।

36. तकनीकी शिक्षा मंत्री, वीर माधो सिंह भण्डारी, उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करेंगे।

37. खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्तीय रक्षक दल अधिनियम, 1948) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेंगे।

38. खेल एवं युवा कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड (संयुक्त प्रान्तीय रक्षक दल अधिनियम, 1948) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करेंगे।

39. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मार्गेंगे।

40. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करेंगे।

41. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

42. मुख्यमंत्री, (उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करेंगे।

43. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

44. संसदीय कार्य मंत्री, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करेंगे।

45. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और विनियमन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

46. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड निवेश और आधारिक संरचना (विकास और विनियमन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करेंगे।

47. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड निरसन विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

48. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड निरसन विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करेंगे।

49. सैनिक कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

50. सैनिक कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करेंगे।

51. उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

52. उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करेंगे।

53. उच्च शिक्षा मंत्री, राज्य विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

54. उच्च शिक्षा मंत्री, राज्य विश्वविद्यालय उत्तराखण्ड विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करेंगे।

55. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

56. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1974) (संशोधन) विधेयक, 2023 को पुरःस्थापित करेंगे।

57. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

58. संसदीय कार्य मंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:-

विषय : भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा की गई अपेक्षा के क्रम में "लोक ऋण अधिनियम, 1944 (1944 का अधिनियम संख्यांक 18) (Public Debt Act, 1944)" को निरसित करने एवं "सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्यांक 38) (Government Securities Act, 2006)" में कतिपय संशोधन किये जाने हेतु "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत राज्य विधान मण्डल द्वारा संकल्प प्रस्ताव पारित किए जाने के संबंध में।

प्रस्तावना : भारत सरकार ने व्यवसाय करने में आसानी, नागरिकों के लिए जीवन में आसानी और समाज के विभिन्न वर्गों के लिए सुशासन को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं। अप्रचलित कानूनों को निरस्त करने और पुनः अधिनियमित करने के लिए पूर्व-संवैधानिक अधिनियमों की समीक्षा इन पहलों का एक महत्वपूर्ण भाग है। तद्नुसार "लोक ऋण अधिनियम, 1944" को निरस्त करने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

2- इस सम्बन्ध में वर्ष 2006 में भारत सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों और उसके प्रबन्धन से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के लिए "सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006" लागू किया। "सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006" की धारा 1 की उपधारा (2) के अनुसार, यह अधिनियम ऐसी सरकारी प्रतिभूतियों को लागू होता है, जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व या पश्चात सृजित और निर्गमित की गयी है। "सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006" की धारा 31 की उपधारा (1) मे प्रावधान है कि "लोक ऋण अधिनियम, 1944" उन सरकारी प्रतिभूतियों को जिनको यह अधिनियम लागू होता है और सभी मामलों को भी जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा उपबन्ध किये गये हैं, लागू होना समाप्त हो जायेगा।

3- "लोक ऋण अधिनियम, 1944" को निरसित करने वाले प्रकरण की भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से जांच की गई और पाया गया है कि राज्य सरकारों द्वारा जारी की गई कुछ प्रतिभूतियां/वस्तुएं अभी भी भारतीय रिजर्व बैंक की पुस्तकों में इस अधिनियम के अन्तर्गत विद्यमान हैं। "लोक ऋण अधिनियम, 1944" को निरसित करने के लिए, "लोक ऋण अधिनियम, 1944" के ऐसे प्रावधानों को "सरकारी प्रतिभूति (संशोधन) विधेयक" लाकर "सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006" के अन्तर्गत सम्मिलित करके प्रभावी बनाने की आवश्यकता हो सकती है।

4- तद्क्रम में, "सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006" में निम्नलिखित प्रमुख संशोधनों को सम्मिलित करने हेतु "सरकारी प्रतिभूति (संशोधन) विधेयक" भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में विचाराधीन है :-

(i) जम्मू और कश्मीर राज्य के संदर्भ को हटाने के लिए "सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006" की धारा 1 में संशोधन करना, जहां कहीं भी यह "सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006" में आता है, पूर्ववर्ती राज्य की वर्तमान स्थिति को प्रतिबंधित करने के लिए, जिसे दो केन्द्रशासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया है।

(ii) "सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006" की धारा 2 (च) में उपबन्धित 'सरकारी प्रतिभूति' की परिभाषा में संशोधन और "लोक ऋण अधिनियम, 1944" के अन्तर्गत निर्गत विशेष प्रतिभूतियों की विशेषताओं को सम्मिलित करने के लिए "सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006" की धारा 5 में संशोधन विशेष रूप से, उनकी गैर-हस्तांतरणीयता को बचाने के लिए और,

(iii) "लोक ऋण अधिनियम, 1944" को निरसित करने के लिए "सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006" की धारा 31 और 35 में संशोधन और "सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006" के अन्तर्गत की गई कतिपय कार्रवाइयों/अवशेष मदों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान करना।

5-**उद्देश्य :** चूंकि "लोक ऋण अधिनियम, 1944" की विषय वस्तु राज्य सूची की प्रविष्टि से भी संबंधित है और चूंकि "सरकारी प्रतिभूति अधिनियम, 2006" में उपरोक्त संशोधन करने और "लोक ऋण अधिनियम, 1944" को निरसित करने हेतु भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 252 के अन्तर्गत आवश्यक प्रस्ताव पारित करने हेतु प्रकरण को यथाशीघ्र राज्य विधानमंडल के समक्ष विचारार्थ रखने एवं परिणाम के बारे में भारत सरकार को सूचित करने की अपेक्षा की गई है।

6-अतएव, उपरोक्त संकल्प प्रस्ताव को मा0 सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करते हुए अनुमोदन चाहता हूँ।

(समय : अपराह्न 04:00 बजे)।

59. वित्त मंत्री, वित्तीय वर्ष 2023-2024 की अनुपूरक अनुदान मागें प्रस्तुत करेंगे।

60. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक :05 सितम्बर, 2023

(शहन्शाह मुहम्मद दिलबर दानिश) 05.09.2023.
सचिव।

उत्तराखण्ड विधान सभा

द्वितीय सत्र, 2023
का प्रथम बुधवार

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

बुधवार,
15 भाद्रपद, शक संवत्, 1945

(दिनांक : 06 सितम्बर, 2023)

नत्थी 'क'

अल्पसूचित प्रश्न

श्री भुवन चन्द्र कापड़ी
30.08.2023

** क्या चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञांत है कि प्रदेश में लगातार डेंगू रोग का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे कई लोगों की अकाल मृत्यु हो चुकी है ? क्या सरकार इस महामारी को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठा रही है ? यदि हां, तो वह प्रभावी कदम क्या है ? क्या यह सत्य है कि डेंगू रोग का उपचार अत्यन्त महंगा होने के कारण कई गरीब लोग अपना उपचार नहीं करवा पा रहे हैं ? क्या सरकार गरीब लोगों को डेंगू का निःशुल्क उपचार करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चिकित्सा स्वास्थ्य

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

श्री बृजभूषण गैरोला
29.05.2023

*1. क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि वर्ष 2011 में महाराणा प्रताप स्पोर्टस कॉलेज देहरादून में 80 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च कर आईस स्केटिंग रिंक का निर्माण किया गया था ? क्या यह भी सत्य है कि वर्ष 2011 मे बने इस आईस स्केटिंग रिंक में साउथ इस्टर्न विंटर गेम्स एवं वर्ष 2011–12 में राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता होने के उपरान्त उक्त आईस स्केटिंग रिंक बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आईस स्केटिंग रिंक का पुनः संचालन हेतु कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल

श्री बृजभूषण गैरोला
30.05.2023

*2. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य की एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई कार्य योजना बनाई गयी है ? यदि हां तो, क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में कुल कितनी एकल महिलायें है जो कि आर्थिक रुप से कमजोर है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में आर्थिक रुप से कमजोर एकल महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए कौन–कौन सी योजनायें चलाई जा रही हैं तथा आतिथि तक कितनी एकल महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास

श्री प्रीतम सिंह पंवार
31.05.2023

*3. क्या खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जनपदवार सभी प्रकार के राशन कार्ड धारकों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार बतायेगी कि डिजिटल राशनकार्ड बनाया जाना प्रदेश में किस तिथि से प्रारम्भ किया गया था ? क्या यह सत्य है कि आतिथि तक डिजिटल राशनकार्ड नहीं बनाये जा सके है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि किस तिथि तक राशन कार्ड धारकों को डिजिटल राशनकार्ड वितरित करवा लिए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

डॉ0 मोहन सिंह बिष्ट
07.06.2023

*4. क्या खेल मंत्री अवगत हैं कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत इन्दिरा गॉधी अर्न्तराष्ट्रीय स्टेडियम हल्द्वानी में कोई खेल प्रतियोगिताऐं आयोजित नहीं होने के कारण क्षेत्र के युवा प्रतिभाओं को इसका लाभ नही मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त स्टेडियम में अर्न्तराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धायें आयोजित करवाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल

श्री प्रीतम सिंह पंवार
14.06.2023

*5. क्या खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में राशन, शब्जी, फल इत्यादि के मूल्य दरों पर नियन्त्रण (रेट कन्ट्रोल) के लिए कोई व्यवस्था बनायी गई हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि कभी–कभी बाजारों या हाट में राशन, शब्जी तथा फलों के मूल्य में अचानक बेतहाशा वृद्धि कर दी जाती है, जिस कारण उपभोक्ताओं को ऊंची दरों पर दैनिक उपयोग की वस्तुयें क्रय करनी पड़ती है ? क्या सरकार अचानक होने वाली बेतहाशा वृद्धि (रेट कन्ट्रोल) हेतु कोई व्यवस्था बनाकर उपभोक्ताओं के हित में कारगर कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

श्री सुरेश गढ़िया
21.06.2023

*6. क्या खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में ए.पी.एल., बी.पी.एल. एवं अन्त्योदय राशन कार्डों के वितरण तय मानकों के आधार पर किए जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के अनेक ग्राम पंचायतो में बी.पी.एल. एवं अन्तोदय राशन कार्डों के वास्तविक पात्र व्यक्ति इस सुविधा से क्यों वंचित हैं ? क्या सरकार तत्सम्बन्धित विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलें

श्री सुरेश गढ़िया
21.06.2023

*7. क्या युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं के कल्याण एवं सर्वांगीण विकास के लिए संचालित प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पंजीकृत युवा मंगल दल एवं महिला मंगल दलों के उत्थान के लिए क्या–क्या कदम उठाये जा रहे हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2017 से आतिथि तक प्रदेश के अनेक ग्राम पंचायतों के युवा मंगल दलों को सरकार द्वारा मदवार कितनी धनराशि का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार तत्सम्बन्धित का सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

युवा कल्याण

श्री आदेश सिंह चौहान
07.07.2023
श्रीमती ममता राकेश
11.07.2023

*8. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री अवगत हैं कि विधान सभा के तृतीय सत्र 2022 के प्रथम बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या–09 के उत्तरालेख एवं चर्चा में मंत्री जी द्वारा कहा गया कि नन्दा देवी कन्या धन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में जन्मी तथा उक्त योजना से वंचित कन्याओं को लाभान्वित करने हेतु वित्त विभाग से बजट की मांग की गयी है ? क्या यह सत्य हैं कि बजट की मांग एवं स्वीकृति हेतु कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाता है ? यदि नहीं तो 2015 से वर्तमान तक 07 वर्ष बीतने के उपरान्त भी उक्त बालिकाओं को लाभान्वित करने में उदासीनता के क्या कारण है ? क्या विभाग उक्त बजट के मांग हेतु अविलम्ब कोई प्रयास करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास

अतारांकित प्रश्न

श्रीमती अनुपमा रावत
29.05.2023

1. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तराखण्ड को सम्भावित राष्ट्रीय खेलों की मिल रही मेजबानी के संदर्भ में विभाग द्वारा क्या–क्या तैयारियां की जा रही है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों के तहत जनपद हरिद्वार में भी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जायेगा ? यदि हां, तो तद्सम्बन्धी विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल

श्री प्रीतम सिंह पंवार
31.05.2023

2. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सरकार द्वारा महिलाओं के कल्याण व सशक्तिकरण हेतु क्या–क्या कार्यक्रम व योजनायें संचालित है ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं के काम के बोझ को कम करने अथवा राहत प्रदान करने के लिए कोई योजना सरकार/शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना/कार्यक्रम क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास

इंजी0 रवि बहादुर
02.06.2023

3. क्या युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा हसनावाला, हजारा ग्रान्ट, रिठौरा ग्रान्ट एवं सुभाषगढ़ की समस्त क्षेत्रीय जनता की मांग पर उक्त ग्राम सभा में एक मिनी स्टेडियम की स्थापना हेतु सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

युवा कल्याण

श्रीमती ममता राकेश
06.06.2023

4. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में कोरोना काल वर्ष 2019–20 में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली पात्र छात्राओं को गौरा देवी कन्याधन योजना का आतिथि तक लाभ प्राप्त नही हो पाया है ? यदि हां, तो कोरोना काल में विषम परिस्थितियों व जानकारी के अभाव में कई पात्र छात्राएं उक्त योजना का लाभ लेने से वंचित रह गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार वर्ष 2019–20 में कक्षा 12वीं उत्तीर्ण पात्र छात्राओं को गौरा देवी कन्या धन योजना का लाभ प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास

श्री प्रीतम सिंह पंवार
07.06.2023

5. क्या युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में युवाओं के कल्याण हेतु युवा नीति प्रख्यापित की गयी है ? क्या सरकार बतायेगी कि युवाओं को राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए युवा कल्याण के क्या –क्या कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि युवा शक्ति को राज्य व देश हित में उत्प्रेरित करने हेतु युवा नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

युवा कल्याण

श्री प्रीतम सिंह पंवार
07.06.2023

6. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों के उच्चीकरण किए जाने की प्रक्रिया गतिमान है ? क्या सरकार द्वारा विकास खण्ड जौनपुर टिहरी गढ़वाल के मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र पापरा तल्ला का उच्चीकरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास

डॉ0 मोहन सिंह बिष्ट
08.06.2023

7. क्या युवा कल्याण मंत्री अवगत कराने का कष्ट करेंगे कि जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र लालकुआं के अन्तर्गत बिन्दुखत्ता में अशोक चक्र से सम्मानित शहीद स्व0 मोहन नाथ गोस्वामी जी के नाम पर स्टेडियम बनाने की प्रक्रिया किस स्तर पर रुकी हुई है ? क्या मंत्री जी यह भी अवगत करायेंगे कि क्षेत्रवासियों की इस बहुप्रतीक्षित मॉग को पूर्ण कराने हेतु सरकार द्वारा कोई कार्यवाही अमल में लायी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

युवा कल्याण

श्रीमती ममता राकेश
08.06.2023

8. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नंदा गौरा योजना के तहत मासिक आय प्रमाण –पत्र बनाये गये हैं ? क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा आवेदनकर्ताओं पर फार्म में गलत सूचना भराये जाने के कारण कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन विभागीय अधिकारियों पर भी कार्यवाही करने जा रही है, जिनके द्वारा फर्जी मासिक आय प्रमाण पत्र जारी किये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास

श्री आदेश सिंह चौहान
08.06.2023

9. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद ऊधमसिंहनगर के विधान सभा क्षेत्र जसपुर के अन्तर्गत स्थानीय खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार स्टेडियम का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल

श्रीमती ममता राकेश
09.06.2023

10. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सरकार द्वारा पूर्व में सेनेटरी नैपकिन को मुफ्त दिये जाने का प्राविधान किया गया था ? क्या यह सत्य है कि वर्तमान में आंगनबाड़ी केन्द्रों मे नकद भुगतान के माध्यम से सेनेटरी नैपकिन दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्व की व्यवस्था को बहाल करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास

श्रीमती ममता राकेश
09.06.2023

11. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में नंदा गौरा योजना के तहत इण्टर पास अनाथ बच्चों को, जिनका भरण–पोषण समाज सेवा संस्थानों एवं परिवारों द्वारा किया जा रहा था, को इस योजना से वंचित रखा गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना में अनाथ बच्चों को सम्मिलित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास

श्री प्रीतम सिंह पंवार
14.06.2023

12. क्या युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में जनपदवार प्रशिक्षित पी.आर.डी. स्वंय सेवकों महिला/पुरुषों की संख्या क्या है एवं इन महिला/पुरुषों प्रशिक्षित स्वंय सेवकों में से कुल कितने महिला/पुरुष स्वंयसेवक वर्तमान समय में कार्ययोजित अथवा कार्यरत है ? क्या यह सत्य है कि अधिकांश प्रशिक्षित महिला/पुरुष स्वंयसेवक कार्य पर नहीं लगाये गये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि प्रशिक्षित पी.आर.डी. स्वंयसेवकों की सेवायें नियमित लिए जाने की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

युवा कल्याण

श्री सुरेश गढ़िया
21.06.2023

13. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों के पास भवन है तथा कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन जर्जर स्थिति में है व कितने आंगनबाड़ी केन्द्र भवन विहीन हैं ? क्या सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों की मरम्मत एवं भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवनों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास

श्री सुरेश गढ़िया
22.06.2023

14. क्या महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट में आंगनबाड़ी केन्द्रों में आतिथि तक कितने कार्यकत्री एवं आंगनबाड़ी सहायिका के पद रिक्त है ? क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यकत्री व आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास

श्री महेश जीना
28.06.2023

15. क्या खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति हेतु घर–घर जाकर गैस सिलेण्डर वितरण करने की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस बात से अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के बाजखेत–कुशिया चौन–ढ़ैया किचार मार्ग पर आज भी एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की आूपर्ति नहीं की जा रही है ? क्या सरकार जनहित में सल्ट विधान सभा क्षेत्र के मोटर मार्गों से जुड़ें हुए सभी गांवों को एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

श्रीमती ममता राकेश
20.07.2023

16. क्या खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान समय में राशन कार्ड नहीं बन रहे है? क्या सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत वर्ष 2011 की जनंसख्या को आधार मानते हुए नये राशन कार्ड बनाये जाने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजेगी ? यदि हां, तो प्रदेश की जनता को कब तक नये राशन कार्ड वितरण कराया जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले

श्री संजय डोभाल
21.07.2023

17. क्या युवा कल्याण मंत्री अगवत हैं कि जनपद उत्तरकाशी में तैनात पी.आर.डी. के जवान चार धाम यात्रा काल व अन्य विभागों में दैनिक मजदूरी के रुप में कार्य कर रहे हैं ? क्या यह सत्य है कि इन पी.आर. डी. जवानों को दैनिक वेतन समय पर नहीं मिल पा रहा है, जिससे इनमें सरकार के प्रति आक्रोश है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इन पी.आर.डी. जवानों की समस्याओं पर विचार करते हुए समय पर दैनिक मजदूरी देने के लिए उचित कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

युवा कल्याण

श्री प्रदीप बत्रा
24.07.2023

18. क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र रुड़की में बन्द पड़ी गंगनहर को अन्तराष्ट्रीय स्तर पर वाटर स्पोर्टस हेतु विकसित किया जा सकता है ? क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस वाटर स्पोर्टस के खिलाड़ियों को लाभ प्राप्त होगा तथा साथ ही राजस्व में भी बढ़ोत्तरी होगी ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा बन्द पड़ी गंगनहर को वाटर स्पोर्टस के रुप में विकसित करने की कोई योजना बनाई जा रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खेल